

1005
18/6/2024



झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

आदेश

शैक्षणिक सत्र-2024-25 हेतु झारखण्ड राज्य के विद्यालयों में प्री-मैट्रिक पठ्यक्रम (कक्षा- 1 से 10) एवं पोस्ट-मैट्रिक में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दिया जाना है।

1. ई-कल्याण पोर्टल शैक्षणिक सत्र-2024-25 में DNO स्तर पर सम्बंधित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया हेतु 20 मार्च, 2025 तक संचालित रहेगा।
2. शैक्षणिक सत्र-2024-25 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं का प्लट द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर प्रविष्टि एवं आवेदन का सत्यापन 28 फरवरी, 2025 तक प्राप्त आवेदन का भुगतान 20 मार्च, 2025 तक कर दिए जाएंगे।
3. शैक्षणिक सत्र-2024-25 में 28 फरवरी के बाद प्राप्त आवेदन का निस्तारण अगले वित्तीय वर्ष-2025-26 में होगा।
4. 15 जुलाई, 2024 से 31 जुलाई, 2024 के मध्य शैक्षणिक सत्र-2023-24 का और उससे पूर्व के वर्षों का भुगतान पूर्ण कर लिया जाए।
5. 1 अगस्त, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 के बीच 2024-25 शैक्षणिक सत्र का भुगतान मिशन मोड में करेंगे।
6. वित्तीय वर्ष-2024-25 में प्राप्त आवंटन से पूर्व के शैक्षणिक सत्र के अहर्ताधारी छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति यदि बकाया हो तो पूर्व का छात्रवृत्ति भुगतान करने के उपरान्त शैक्षणिक सत्र-2024-25 का भी छात्रवृत्ति ससमय भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।
7. जिला स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी, जिसमें DNO द्वारा अनुशंसित आवेदन के स्वीकृति अनुमोदन/अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
8. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र-2024-25 :-
 - I. शैक्षणिक सत्र-2024-25 में नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं का INO द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर प्रविष्टि एवं आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि 20.09.2024 तक होगी।
 - II. DNO स्तर पर सम्बंधित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का सत्यापन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 30.10.2024 तक होगी।
9. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र-2024-25 :-
 - i. शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 20.08.2024 तक होगी।
 - ii. शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पर जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में होगी।
 - iii. शैक्षणिक सत्र-2024-25 हेतु छात्र-छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 20.03.2025 तक होगी।
 - iv. सम्बंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र-छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की अंतिम तिथि 21.03.2025 तक होगी।

अतः निदेश दिया जाता है कि अपने जिला अन्तर्गत सभी योग्य लाभार्थियों को छात्रवृत्ति लाभ से आच्छादित करना सुनिश्चित करें।

(Signature)

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

21/04/24 Reg. 577

प्रतिनिधि - 01/05/24 01/05/24 01/05/24

दिनांक 18-12-2024

नोट - 54/57-01/05/24 01/05/24 01/05/24
कोनामाई 54/57-01/05/24 01/05/24 01/05/24